

कार्यालय  
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962-230065, फ़ैक्स: 05962-232182 ई-मेल [almoraforestdivision@rediffmail.com](mailto:almoraforestdivision@rediffmail.com)  
पत्रांक 6168 / 12-1(3) अल्मोड़ा दिनांक, 21-04-2015

सेवा में,

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,  
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय:- कुनीगाडा-हिरूली बाजार मोटर मार्ग का रामपुर चौखुटिया तक विस्तार (प्रस्ताव सं0 8986/2014)

संदर्भ:- आपकी पत्र सं0 2225/12-1 दिनांक 31.03.2015

महोदय,

संदर्भित पत्र के बिन्दु सं0 1 के क्रम में वन पंचायत कमेटी की अनापत्ति प्रस्तावक विभाग से प्राप्त कर ऑन लाइन प्रेषित की जा रही है तथा बिन्दु सं0 2 के क्रम में प्रपत्र भाग-2 पूर्ण कर पुनः ऑन लाइन प्रेषित किया जा रहा है। कृपया प्रकरण में यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न :- यथोपरि।

भवदीय  
21/4  
प्रभागीय वनाधिकारी  
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

वन पंचायत समिति का अनापत्ति प्रमाण पत्र

आज दिनांक 12/04/2015 को वन पंचायत समिति, अनौटिया कि आम बैठक में सर्व सहमति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि शासन द्वारा स्वीकृत कुनिगाड, दिवली, साभार, मोहर, आशी, का, रामपुर, सोरुदिभा, का, निस्ताह, मोटर मार्ग जो इस वन पंचायत से होकर गुजर रही हैं उसमें वन पंचायत समिति, अनौटिया को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है जिसमें समिति के निम्न सदस्यो द्वारा यह प्रतिभाग किया गया।

वन पंचायत सदस्य (पंच) अनौटिया

K/18/04/2015  
सरपंच, हुस्ताहाड  
कोरेस्ट वन पंचायत अनौटिया  
पल्ला मेगाड जि० बलमोडा

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1) नि० मथुरा देवी W.P.O. स्क. दामोदर डोडी         | 1) नि० मथुरा देवी   |
| 2) नि० शिववीराम S.P.O. स्व०श्री डोंपुराम          | 2) नि० शिववीराम     |
| 3) नि० लालराम S.P.O. स्व०श्री सुन्दरगणी डोडी      | 3) नि० लालराम       |
| 4) नि० विपिन चन्द्र S.P.O. श्री-मैहगानन्द डोडी    | 4) नि० विपिन चन्द्र |
| 5) नि० पी. पी. डी. S.P.O. स्व०श्री-केदारदत्त डोडी | 5) नि० पी. पी. डी.  |
| 6) नि० जानकी देवी W.P.O.श्री विलोक प्रसाद         | 6) नि० जानकी देवी   |
| 7) नि० लीला रत्न S.P.O. श्री- लालराम सभा बैठक     | 7) नि० लीला रत्न    |
| 8)  |                     |

K/18/04/2015  
सरपंच,  
कोरेस्ट वन पंचायत अनौटिया  
पल्ला मेगाड जि० बलमोडा

प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति ~~कुनीगाड़ हिल्सली काजर ओम्कार का रामपुर~~ ~~दोखुटिया तक विस्तार~~
- (i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र ~~उत्तराखण्ड~~
- (ii) जिला ~~कालास~~
- (iii) जिला वन प्रभाग ~~कालास वन प्रभाग कालास~~
- (iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र - 1,350 हे०
17. पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति: - ~~वन पंचायत भूमि~~
18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा: ~~चीड़ वृक्ष,~~
- (i) वन का प्रकार ~~डेस फॉरेस्ट~~
- (ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व - 4
- (iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना ~~संलग्न है~~
- (iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा - ~~कोई नहीं~~
19. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी ~~भूक्षरण की संभावना~~
20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी: 1.50 K.M. ~~नहीं~~
21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता: ~~निरीक्षण नहीं~~
- (i) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा: ~~महत्वपूर्ण वन्य जीव नहीं;~~
- (ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव उत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) ~~नहीं~~
- (iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) ~~नहीं~~
- (iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) ~~नहीं~~
- (v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे ~~नहीं~~
22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) ~~नहीं~~
23. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें: ~~विस्तार नहीं करने के अभाव में~~
- (i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। ~~अपरिहार्य स्वरूप प्रस्तावित वन भूमि है।~~

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षेपण के लिए उपयोग किया जा सकता है। ~~है~~

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/ नहीं)

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही ~~नहीं~~

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/ नहीं)

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रारिथति। ~~क्षतिपूरक वनरोपण~~

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें। ~~क्षतिपूरक वनरोपण~~

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं। ~~है~~

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/ नहीं)।

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिचय्य : ~~संलग्न है~~

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युवितयुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/ नहीं)।

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/ नहीं)।

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

~~स्वीकृति संसृति की जाती है।~~

स्थान: ~~अहमदाबाद~~

दिनांक: 14-3-2015

हस्ताक्षर

नाम

शास्कीय मुद्रा

प्रभागीय वनाधिकारी,

अहमदाबाद वन प्रभाग, अहमदाबाद